

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० से दा० खा० वाइ सं० 34/13-14
 जिला से

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																									
1	2	3																									
	<p>श्री गौतम कुपड़ा के संजय कु-पड़ा के लोपेश कु-पड़ा का सुप्रीम कुपड़ा S/O. ख० अमर प्रसाद कुपड़ा कृ०/० सीमा देवी क०-ख० प्रेमिणी कुपड़ा ग्राम देवी पार थाना जिला पं० खाता नं० दिनांक के आधार पर निम्नलिखित जमान पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">बौजा का नाम</td> <td style="text-align: center;">हौजी नं०</td> <td style="text-align: center;">खाता नं०</td> <td style="text-align: center;">खसरा</td> <td style="text-align: center;">एराजी</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">देवी पार</td> <td style="text-align: center;">234</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">141</td> <td style="text-align: center;">554</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">हो०/०</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">42/55</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">53/46</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र इत्यादि कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतियेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक <u>28/04/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	बौजा का नाम	हौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	देवी पार	234	220	141	554		हो०/०					42/55					53/46				<p>(19-8 24-8)</p>
बौजा का नाम	हौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी																							
देवी पार	234	220	141	554																							
	हो०/०																										
	42/55																										
	53/46																										
	<p>महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतियेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके आवेदन को अचल पर दाखिल किया जाता है।</p> <p>अंचल अधिकारी</p>																										